मुण्डरू

FORM NO.111

20-3-2023

80/2023

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डरू बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट. मुकदमा नम्बर – 80/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2023		

सरपंच, ग्राम पंचायत मूण्डरू ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम– 1956 का तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश कर राजस्व ग्राम मूण्डरू के ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का नक्शे में गलत तरमीम को शुद्ध करवाने बाबत पेश किया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का मूण्डरू से जॉच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का मूण्डरू से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्रांक 3995/भू.अ./22 दिनांक 08.03.2023 के द्वारा प्रकरण में बाद जॉच रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई गई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 2687/2 रकबा 0.22 है0 किस्म गै0 मु0 आबादी की खातेदारी ग्राम पंचायत मुण्डरू के नाम दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत मुण्डरू को आबादी हेतु मूल ख0न0 2687 में आवंटित की गई थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 1568 दिनांक 15.02.2013 के द्वारा अमल हुआ। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम राजस्व नक्शे में की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर की तरमीम को रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के मुताबिक परिवर्तित करवाना चाहा है। ग्राम पंचायत द्वारा तरमीम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है तथा मुताबिक रिकार्ड कोई स्थगन या विवाद नहीं है। वर्तमान में राजस्व नक्शे में जो तरमीम की गई है, वह एल आकार में है तथा पूर्व दिशा से ढाणीयों में होकर जाने वाला मार्ग गुजर रहा है, जिस पर ग्रेवल बनी हुई है। जिस कारण उक्त तरमीम आबादी प्रयोजनार्थ असुविधा जनक है। ग्राम पंचायत मुण्डरू द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.08.2022 से वर्तमान राजस्व नक्शे में ख0न0 2687/2 की जो तरमीम की गई है, उसमें किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नही होना बताया है। तरमीम किये जाने हेतु मय नजरी नक्शा के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये गये है। जिनको दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तह[illegible] मूण्डरू की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

हमने [illegible] दस्तावेजात यथा नजरी नक्शा ट्रेस [illegible] सम्वत् 2074–2077, नामान्तकरण संख्या 1568, नक्शा ट्रेस, पटवारी हल्का मूण्ड[illegible] रिपोर्ट व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2687/2 रकबा 0.22 हैक्टर की खातेदारी ग्राम पंचायत मूण्डरू के नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जो आबादी हेतु मूल खसरा संख्या 2687 से आंवटित हुई है। जिसके वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम एल आकार में की हुई है। जिसके पूर्व दिशा से ढाणियों में होकर जाने वाला मार्ग गुजर रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.21 15:51:34 IST
Reason: SelfAttested

कलीय हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

जिस पर गेवल बनी हुई होना अंकित किया है। उक्त तरमीम में ग्राम पंचायत मूण्डरू द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत मूण्डरू उक्त तरमीम को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार परिवर्तित करवाना चाहता है। उक्त भूमि मौके पर खाली होने तथा वर्तमान में कोई विवाद या स्थगन नहीं होने बाबत अवगत कराया है। उक्त खसरा नम्बरान् 2687/2 में वर्तमान में एल आकार में हो रखी तरमीम को शुद्ध कर वर्तमान मौके के अनुसार संलग्न नजरी नक्शे में परिवर्तित करते हुए तरमीम किये जाने हेतु मय नजरी नक्शा के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाया जाना प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मूण्डरू की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार ग्राम मूण्डरू के भूमि खसरा नम्बर 2687/2 रकबा 0.22 हैक्टर जो वर्तमान में नक्शे में एल आकार में दर्शित है को परिवर्तित करते हुए नजरी नक्शे में प्रस्तावित शुद्धि अनुसार नजरी नक्शा में दुरूस्त किये जाने की कार्यवाही संपादित करें। तदनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.21 15:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/03/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)